न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा, जिला–चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण प्रार्थना पत्र– 46/2024

उनवान

कमला पत्नि श्री गोपाललाल जाति धाकड आयु बालिग निवासी गिलोता ग्राम पंचायत खातीखेडा थाना व तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।

.............प्रार्थीया

बनाम

भूमिधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा जिला–चित्तौडगढ ।

...........विपक्षी

निर्णय अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित – अनिल शर्मा अभिभाषक प्रार्थी।

पेरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक 10.09.2024

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया के सयुंक्त खातेकाश्त की कृषि आराजीयात ग्राम गिलोता प0ह0 खातीखेडा तहसील रावतभाटा में संवत 2076–79 के अनुसार खाता संख्या 24 खसरा संख्या 701/781 रकबा 0.58 है0 है। मुझ प्रार्थीया का वास्तविक नाम कमला पत्नि गोपाललाल है, क्योंकि मुझ प्रार्थीया कमला के आधार कार्ड, राशन कार्ड व बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा एकलिंगपुरा में कमला पत्नि गोपाल लाल नाम दर्ज है, इस प्रकार मुझ प्रार्थीया का वास्तविक नाम कमला पत्नि गोपाल लाल है, किन्तु सहवन से उक्त आराजीयात पर इन्तकाल खुलते समय मुझ प्रार्थीया का नाम कला पत्नि गोपाल लाल दर्ज हो गया हे, उक्त त्रुटि राजस्व कर्मचारियों की भूल व त्रुटिवश हुई है, इसलिए उक्त खाते में प्रार्थीया का नाम कमला पत्नि गोपाल लाल अंकित किये जाने हेतु इन्द्राज दुरूस्ती का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अन्त में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थीया का नाम कमला पत्नि गोपाल लाल किये जाने का आदेश प्रदान कर इंतकाल दुरूस्त किये जाने का आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जांच कराई गई। तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा दावा किया गया है कि प्रार्थीया का नाम कमला पत्नि गोपाल दर्ज है जिसे इन्तकाल में त्रुटिवश राजस्व कर्मचारियों की भूलवश प्रार्थीया का नाम कला पत्नि गोपाल दर्ज हुआ है। यह पूर्णतया निराधार एवं असत्य है। प्रकरण में दर्ज आराजी भूमि का प्रथम आवंटन पत्र एवं नामान्तकरण पत्रावली में समान नाम कला पत्नि गोपाल दर्ज है। जिसमें किसी प्रकार की असमानता नहीं है। ग्राम गिलोता के मौतबिरानों से मौके पर की गई जांच में प्रार्थीया के नाम में कोई त्रुटि होने की स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं है। उक्त प्रकरण में आवंटन पत्र के साथ सलंग्न तत्कालिन दस्तावेजों की जांच किया जाना अपेक्षित है।

हमने प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदा[illegible] गय प0ह0 खातीखेडा रिपोर्ट तथा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों से प्रार्थी के कथनों [illegible] होती है। जिससे राजस्व रिकार्ड में अंकित प्रार्थीया का नाम कला पत्नि गोपाल [illegible] पत्नि गोपाल लाल किया जाना न्यायोचित नहीं होने से प्रार्थीया [illegible] योग्य नहीं पाया जाता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर इन्द्राज [illegible]स्ती किये जाने का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.09.2024 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.09.25 10:11:55 IST
Reason: SelfAttested

(महेश गगोरिया) R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा